



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2525]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2014/अग्रहायण 19, 1936

No. 2525]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2014/AGRAHAYANA 19, 1936

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
(आयकर)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014

**का.आ. 3125(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, की अधिसूचना सं. का.आ. 1942(अ), दिनांक 19 अगस्त, 2011, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में दिनांक 19 अगस्त, 2011 को प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई तथा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए,—

- (i) निदेश देता है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची-I के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट आयकर महानिदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच), नई दिल्ली, जिनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कालम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट स्थान में है, ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र या ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों की श्रेणियों या ऐसे आय या आय की श्रेणियों या ऐसे मामलों या मामलों की श्रेणियों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करेंगे जो उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयकर निदेशक के अधिकार क्षेत्र में आते हैं;
- (ii) निदेश देता है इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची-II के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट आयकर निदेशक, जिनका मुख्यालय अनुसूची-II के कालम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट स्थान में है, उक्त अनुसूची-II के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट प्रादेशिक क्षेत्रों के मामले में अनुसूची-II के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे;
- (iii) इस अधिसूचना की अनुसूची-I के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट आयकर महानिदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच) और अनुसूची-II के कालम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच) को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वे अपने अधीनस्थ आयकर प्राधिकारियों को अनुसूची-II के कॉलम (5) में

यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निष्पादन करने के लिए, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रादेशिक क्षेत्र के बारे में, लिखित रूप में आदेश जारी कर सकते हैं।

**अनुसूची-I**

| क्र. सं. | आयकर अधिकारियों के पदनाम                        | मुख्यालय  | अधिकार क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                             | (3)       | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.       | आयकर महानिदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), दिल्ली | नई दिल्ली | (i) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच) (प्रशासन), दिल्ली<br>(ii) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), दिल्ली<br>(iii) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), मुंबई<br>(iv) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), चेन्नई<br>(v) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), कोलकाता<br>(vi) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), चंडीगढ़<br>(vii) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), जयपुर<br>(viii) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), अहमदाबाद<br>(ix) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), लखनऊ<br>(x) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), कानपुर<br>(xi) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), गुवाहाटी<br>(xii) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), पटना<br>(xiii) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), भोपाल<br>(xiv) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), पुणे<br>(xv) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), नागपुर<br>(xvi) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), हैदराबाद<br>(xvii) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), भुवनेश्वर<br>(xviii) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), कोच्चि<br>(xix) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), बेंगलुरु |

**अनुसूची-II**

| क्र. सं. | आयकर निदेशक                                            | मुख्यालय | प्रादेशिक क्षेत्राधिकार                                              | शक्तियां और कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                                    | (3)      | (4)                                                                  | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.       | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच) (प्रशासन), दिल्ली | दिल्ली   | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                           |
|          |                                                        |          | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सीमाओं के भीतर क्षेत्र          | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य |
| 2.       | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), दिल्ली           | दिल्ली   | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                           |
|          |                                                        |          | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सीमाओं के भीतर क्षेत्र          | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य  |
| 3.       | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), मुंबई            | मुंबई    | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                           |
|          |                                                        |          | बृहत्तर मुंबई और नवी मुंबई की नगर निगमों की सीमाओं के                | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख,                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| क्र. सं. | आयकर निदेशक                                   | मुख्यालय | प्रादेशिक क्षेत्राधिकार                                                                                                        | शक्तियां और कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                           | (3)      | (4)                                                                                                                            | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                               |          | भीतर क्षेत्र                                                                                                                   | 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य                                                                        |
| 4.       | आयकर निदेशक (आसूचना और अपराधिक जांच), चेन्नई  | चेन्नई   | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                                           | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                           |
|          |                                               |          | तमिलनाडु राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र, पुदुचेरी (कराईकल सहित परंतु जिसमें माहे और यानम शामिल नहीं है) की सीमाओं के भीतर क्षेत्र | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य |
| 5.       | आयकर निदेशक (आसूचना और अपराधिक जांच), कोलकाता | कोलकाता  | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                                           | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                           |
|          |                                               |          | पश्चिम बंगाल और सिक्किम के राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सीमाओं के भीतर सभी क्षेत्र             | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य |
| 6.       | आयकर निदेशक (आसूचना और अपराधिक जांच)          | चंडीगढ़  | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                                           | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| क्र. सं. | आयकर निदेशक                                    | मुख्यालय | प्रादेशिक क्षेत्राधिकार                                                                                          | शक्तियां और कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                            | (3)      | (4)                                                                                                              | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | जांच), चंडीगढ़                                 |          |                                                                                                                  | अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                |          | हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की सीमाओं के भीतर क्षेत्र | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य |
| 7.       | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), जयपुर    | जयपुर    | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                             | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                           |
|          |                                                |          | राजस्थान राज्य की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                                                         | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य |
| 8.       | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), अहमदाबाद | अहमदाबाद | गुजरात राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन, दीव, और दादरा एवं नगर हवेली की सीमा के भीतर क्षेत्र                       | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य |

| क्र. सं. | आयकर निदेशक                                | मुख्यालय | प्रादेशिक क्षेत्राधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शक्तियां और कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                        | (3)      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                            |          | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                           |
| 9.       | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), लखनऊ | लखनऊ     | <p>उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित राजस्व जिलों (बाद में इनमें से हटाये गये किसी भी जिले सहित) की सीमाओं के भीतर क्षेत्र जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश (पूर्व) के क्षेत्राधिकार के साथ सह अवसानिक होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>लखनऊ</li> <li>उन्नाव</li> <li>बाराबंकी</li> <li>फैजाबाद</li> <li>सुल्तानपुर</li> <li>आमेठी (छत्रपति साहूजी महाराज नगर)</li> <li>प्रतापगढ़</li> <li>रायबरेली</li> <li>जौनपुर</li> <li>बस्ती</li> <li>गोंडा</li> <li>बहराइच</li> <li>बलरामपुर</li> <li>श्रावस्ती</li> <li>अम्बेडकर नगर</li> <li>सिद्धार्थ नगर</li> <li>संत कबीर नगर</li> <li>इलाहाबाद</li> <li>मिर्जापुर</li> <li>फतेहपुर</li> <li>सोनभद्र</li> </ol> | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य |

| क्र. सं. | आयकर निदेशक                     | मुख्यालय | प्रादेशिक क्षेत्राधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शक्तियां और कार्य                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                             | (3)      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (5)                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                 |          | xxii. कौशाम्बी<br>xxiii. वाराणसी<br>xxiv. भदोही (संत रविदास नगर)<br>xxv. बलिया<br>xxvi. गाजीपुर<br>xxvii. चंदौली<br>xxviii. गोरखपुर<br>xxix. देवरिया<br>xxx. मऊ<br>xxxi. आजमगढ़<br>xxxii. कुशीनगर<br>xxxiii. महाराजगंज<br>xxxiv. बरेली<br>xxxv. शाहजहाँपुर<br>xxxvi. पीलीभीत<br>xxxvii. हरदोई<br>xxxviii. सीतापुर<br>xxxix. लखिमपुर खीरी<br>xl. मुरादाबाद<br>xli. बिजनौर<br>xlii. रामपुर<br>xlili. बंदायू<br>xliv. अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर)<br>xlv. सम्भल |                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                 |          | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य |
| 10.      | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक) | कानपुर   | उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में निम्नलिखित राजस्व जिलों (बाद में इनमें से हटाये गये किसी जिले सहित) की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त                                                                                                                                    |

| क्र. सं. | आयकर निदेशक   | मुख्यालय | प्रादेशिक क्षेत्राधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | शक्तियां और कार्य                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)           | (3)      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (5)                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | जांच), कानपुर |          | <p>सीमाओं के भीतर क्षेत्र जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और उत्तराखंड के क्षेत्राधिकार के साथ सह अवसानीक होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कानपुर नगर</li> <li>कानपुर देहात (रामाबाई नगर)</li> <li>जालौन</li> <li>हमीरपुर</li> <li>बांदा</li> <li>चित्रकूट</li> <li>महोबा</li> <li>आगरा</li> <li>मथुरा</li> <li>ओरैया</li> <li>फिरोजाबाद</li> <li>झांसी</li> <li>ललितपुर</li> <li>इटावा</li> <li>अलीगढ़</li> <li>फर्रुखाबाद</li> <li>कन्नौज</li> <li>एटा</li> <li>हाथरस</li> <li>मैनपुरी</li> <li>कांशीराम नगर</li> <li>मुजफ्फरनगर</li> <li>शामली</li> <li>सहारनपुर</li> <li>मेरठ</li> <li>बागपत</li> <li>गाजियाबाद</li> <li>हापुड (पंचशील नगर)</li> <li>बुलंदशहर</li> <li>गौतम बुद्ध नगर</li> <li>देहरादून</li> <li>हरिद्वार</li> </ol> | अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य |

| क्र. सं. | आयकर निदेशक                                    | मुख्यालय | प्रादेशिक क्षेत्राधिकार                                                                                                                                                                                               | शक्तियां और कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                            | (3)      | (4)                                                                                                                                                                                                                   | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                |          | xxxiii. उत्तरकाशी<br>xxxiv. टिहरी गढ़वाल<br>xxxv. पौड़ी गढ़वाल<br>xxxvi. चमोली<br>xxxvii. रुद्रप्रयाग<br>xxxviii. नैनीताल<br>xxxix. अल्मोड़ा<br>xl. पिथौरागढ़<br>xli. ऊधमसिंह नगर<br>xlii. चम्पावत<br>xliii. बागेश्वर |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                                |          | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                                                                                                                                  | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरूपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                           |
| 11.      | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), गुवाहाटी | गुवाहाटी | असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                                                                                                | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरूपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य |
|          |                                                |          | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                                                                                                                                  | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरूपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                           |
| 12.      | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), पटना     | पटना     | बिहार और झारखंड राज्यों की सीमा के भीतर क्षेत्र                                                                                                                                                                       | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरूपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों तथा उसके                                                                                                                                    |

| क्र. सं. | आयकर निदेशक                                 | मुख्यालय | प्रादेशिक क्षेत्राधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                    | शक्तियां और कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                         | (3)      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                             |          | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                       | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                           |
| 13.      | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), भोपाल | भोपाल    | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                              | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य |
|          |                                             |          | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                       | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                           |
| 14.      | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), पुणे  | पुणे     | महाराष्ट्र राज्य में राजस्व जिलों (इनमें से बाद में हटाए गये किसी जिले सहित) की सीमाओं के भीतर क्षेत्र जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे के क्षेत्राधिकार के साथ सह अवसानिक होंगे:<br>i. पुणे<br>ii. अहमदनगर<br>iii. सतारा<br>iv. सोलापुर<br>v. कोल्हापुर<br>vi. सांगली<br>vii. सिंधुदुर्ग | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य |

| क्र. सं. | आयकर निदेशक                                  | मुख्यालय | प्रादेशिक क्षेत्राधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शक्तियां और कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                          | (3)      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                              |          | viii. रत्नागिरि<br>ix. थाणे<br>x. रायगढ़<br>xi. पालघर<br>xii. नासिक<br>xiii. धुले<br>xiv. नंदुरबार<br>xv. जलगांव<br>xvi. औरंगाबाद<br>xvii. परभानी<br>xviii. हिंगोली<br>xix. जालना<br>xx. नांदेड<br>xxi. बीड<br>xxii. लातूर<br>xxiii. उस्मानाबाद                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              |          | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                             | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसंगी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                           |
| 15.      | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), नागपुर | नागपुर   | महाराष्ट्र राज्य में राजस्व जिलों (इनमें से बाद में हटाए किसी जिले सहित) की सीमाओं के भीतर क्षेत्र जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर के क्षेत्राधिकार के साथ सह अवसानिक होंगे:<br>i. नागपुर<br>ii. अमरावती<br>iii. अकोला<br>iv. बुलढाना<br>v. वाशिम<br>vi. भंडारा<br>vii. वर्धा<br>viii. यवतमाल<br>ix. गोंदिया | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसंगी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य |

| क्र. सं. | आयकर निदेशक                                     | मुख्यालय  | प्रादेशिक क्षेत्राधिकार                                                                             | शक्तियाँ और कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                             | (3)       | (4)                                                                                                 | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                 |           | x. चंद्रपुर<br>xi. गढ़चिरौली                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                                 |           | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियाँ और कार्य                                                                                                           |
| 16.      | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), हैदराबाद  | हैदराबाद  | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र, पुद्दुचेरी के यनम की सीमाओं के भीतर क्षेत्र | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियाँ और कार्य |
|          |                                                 |           | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियाँ और कार्य                                                                                                           |
| 17.      | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), भुवनेश्वर | भुवनेश्वर | ओडिशा राज्य की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                                               | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियाँ और कार्य |
|          |                                                 |           | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियाँ और कार्य                                                                                                           |

| क्र. सं. | आयकर निदेशक                                    | मुख्यालय | प्रादेशिक क्षेत्राधिकार                                                                                  | शक्तियां और कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                            | (3)      | (4)                                                                                                      | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                |          |                                                                                                          | कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18.      | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), कोच्चि   | कोच्चि   | केरल राज्य, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, संघ राज्य क्षेत्र, पुद्दुचेरी के माहे की सीमाओं के भीतर क्षेत्र | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य |
|          |                                                |          | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                     | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                           |
| 19.      | आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), बेंगलुरु | बेंगलुरु | भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                     | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य                                                                                                           |
|          |                                                |          | कर्नाटक और गोवा के राज्यों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र                                                     | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य |

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना संख्या 77/2014/फा. सं. 187/37/2014 (आ.क.नि.-I)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक